

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)
 क्रमांक: 65स्था. दिनांक: 27 फरवरी, 2024


—: कार्यालय आदेश :—

मेड़ता न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I जो राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना नियम, 1986 (यथा संशोधित) के तहत शेरिस्तेदार ग्रेड-II/रीडर ग्रेड-II/कार्यालय सहायक के पद के लिये विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति समिति की अनुशंषा के अनुसार तुरन्त प्रभाव से अस्थायी रूप से शेरिस्तेदार ग्रेड-II/रीडर ग्रेड-II/कार्यालय सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-10 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे-3600/-) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन-भत्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम
01	श्री लक्ष्मणसिंह सांदू शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	सामान्य	न्या.अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं कार्य व्यवस्थार्थ न्या.अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.02, परबतसर.
02	श्री भीष्मनारायण जोशी शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	सामान्य	न्या.अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 01, नागौर
03	श्री देशबन्धु मिश्रा शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	सामान्य	न्या.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना
04	श्री रघुनन्दन व्यास शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	सामान्य	जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता
05	श्री कमल सांखला शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	सामान्य	न्या.अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 01, नागौर कार्य व्यवस्थार्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर
06	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	सामान्य	न्या.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल
07	श्री महेन्द्र कुमार बारूपाल शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	अनुसूचित जाति	न्या.अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
08	श्री नथमल शेरिस्तेदार-III/रीडर-III/लिपिक ग्रेड-I	अनुसूचित जाति	न्या.विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय नं.02, मेड़ता कार्य व्यवस्थार्थ न्या.अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जायल.

नोट:-

- 01 यदि उपरोक्त कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उनकी पदोन्नति निरस्त कर उन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- 02 उपर्युक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में किया जावे।
- 03 कर्मचारी को पदोन्नति के तहत यदि कोई वित्तीय लाभ देय होता है, तो उसका भुगतान पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- 04 उपरोक्त कर्मचारीगण की वरीयता उपर्युक्तानुसार रहेगी।
- 05 उपरोक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।



 (मदनलाल भाटी)
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 मेड़ता। 27/02/2024

क्रमांक: 1172-1181 स्था.

दिनांक: 27 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

01. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट कैसेज नं.02, मेड़ता ।
02. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जायल/नं.02, परबतसर/मकराना/नं.1, नागौर ।
03. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ।
04. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं ।
05. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना/जायल ।
06. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता ।
07. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
08. श्री लक्ष्मणसिंह सान्दू/श्री भीष्म नारायण जोशी/श्री देशबन्धु मिश्रा/श्री रघुनन्दन व्यास/श्री कमल सांखला/श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा/श्री महेन्द्र कुमार बारूपाल/श्री नथमल द्वारा संबंधित न्यायालय ।
09. व्यक्तिगत पत्रावली संबंधित कर्मचारी ।
10. रक्षित पत्रावली ।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता । 27/02/2024